पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 11 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 14.09.2023

दिनांक 13/14-09-2023 को रात्रि थाना वजीरगंज 01, मानकनगर 01, बंथरा 01, गाजीपुर 03, कृष्णानगर 02, मड़ियांव 02 व विभूतिखण्ड 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 11 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना गोसांईगंज-दिनांक 13.09.2023 को उ0नि0 श्री रामदास थाना गोसांईगंज लखनऊ द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01-नन्दकिशोर गौतम पुत्र स्व0 रमई नि0 ग्राम रामदीन का पुरवा मजरा सरई गुदौली गोसाईगंज लखनऊ को इन्द्रा नहर के पास ग्राम रामदीन का पुरवा गोसाईगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया मे कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसांईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना गोसांईगंज-दिनांक 13.09.2023 को उ0नि0 श्री राजकुमार थाना गोसांईगंज लखनऊ द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01-रामकुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम पच्छेगाँव मजरा सिठौली कला थाना गोसाईगंज लखनऊ को सिठौली कला पुल (इन्दिरा नहर) गोसाईगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया मे कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसांईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना मोहनलालगंज- दिनांक 14.09.2023 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि जरिए आरटी थाना स्थानीय पर सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 14.09.2023 समय करीब 09.52 बजे को ग्राम भाटनखेडा के तालाब में दो लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री लालजी पाण्डेय मो0नं0- 9455354286 थाना मोहनलालगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 14.09.2023 सुबह शनुज पाल उम्र करीब 14 वर्ष पुत्र रमेश निवासी भाटनखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ व अरवेश पाल उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र जगमोहन निवासी उपरोक्त की तालाब में डूबने के कारण मृत्यु हो गई। परिजनो द्वारा बताया गया दिनांक 13.09.2023 की शाम को शनुज पाल व अरवेश पाल भैंस ढूढंने गए थे, ग्राम भाटनखेड़ा के तालाब से भैंस निकालने गया शानुक तो डूबने लगा तो उसे बचाने गए उसके चाचा अरवेश पाल उपरोक्त भी डूब गए जिनका शव स्थानीय गोताखोरों द्वारा निकाला गया। मृतक अरवेश पाल उपरोक्त के दो बच्चे है।

थाना बिजनौर-दिनांक 14.09.2023 को थाना बिजनौर द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती तहमीना पत्नी बेगू निवासिनी मोहल्ला घसियारी कस्बा बिजनौर थाना बिजनौर लखनऊ ने थाना बिजनौर पर सूचना दिया कि दिनांक 13.09.2023 को समय करीब 11.00 बजे अपनी पुत्री अन्या उम्र करीब 07 वर्ष के साथ बिजनौर रोड़ से गौरी की तरफ जा रही थी कि तभी भण्डारी बियर हाउस के पास ई-रिक्शा सं0- यूपी42 बीटी 7741 के चालक अजयपाल उर्फ आकाश पुत्र महादेव निवासी गोवर्धन खेड़ा ने ई-रिक्शा को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए वादिनी की पुत्री अन्या उपरोक्त को टक्कर मार दी जिसे इलाज हेतु लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा वादिनी की पुत्री अन्या उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर थाना** बिजनौर **पर मु0अ0सं0- 279/2023 धारा-279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना सरोजनीनगर</u>-दिनांक 14.09.2023 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री सतीश कुमार चौरसिया पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी– ग्राम व पोस्ट नवई, अजगैन जनपद उन्नाव ने थाना सरोजनीनगर पर सूचना दिया कि दिनांक 08.09.2023 को समय करीब 14.00 बजे वादी का भाई आशीष कुमार व उसका मित्र रजनेश कुमार पुत्र रामस्नेही निवासी आगाखेड़ा मजरा नवई थाना अजगैन जनपद उन्नाव अमौसी एअरपोर्ट लखनऊ से अपनी डयूटी करके अपनी मोटर साइकिल से वापस जनपद उन्नाव आ रहे थे कि स्कूटर इण्डिया चौराहे के आगे किआ शोरूम के पास गाड़ी सं0 यूपी32एमएम 4904 के चालक अज्ञात द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वादी के भाई की मोटर साइकिल में पीछे से टक्कर मार दी जिससे वादी का भाई आशीष उम्र करीब 28 वर्ष व उसका साथी रजनीश मो0सा0 सहित गिर पडे और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज हेतु सीएचसी सरोजनीनगर ले जाया गया जहाँ से उन्हे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। जहां से वादी ने अपने भाई को इलाज हेतु टी0एस0 मिश्रा हॉस्पिटल अमौसी लखनऊ में भर्ती कराया। जहां पर इलाज के दौरान दिनांक 14.09.2023 को वादी के भाई आशीष उपरोक्त मृत्यु हो गई। **इस सूचना पर थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0- 402/2023 धारा-279/337/338/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना हुसैनगंज</u>-दिनांक 14.09.2023 को थाना हुसैनगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री योगेश मलिक पुत्र श्री सुभाष मलिक निवासी– आर.के. यूनिवर्सिटी के पीछे सनराइज कालोनी थाना बारादरी जनपद बरेली हालपता 248 शिवमनगर थाना कृष्णानगर लखनऊ ने थाना हुसैनगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 13.09.2023 को समय करीब 23.30 बजे वादी अपनी मोटर साइकिल से अपनी पत्नी गरिमा गुप्ता व बच्चा वियान गुप्ता के साथ घूमने निकला था। सीएसबी बैंक के सामने वादी अपनी मो0सा0 खड़ी करके रूका था कि हजरतगंज की तरफ स्कूटी सं0- यूपी32एमए0568 से दो व्यक्तियों ने नशे की हालत वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वादी की मो0सा0 में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे वादी व वादी का परिवार गंभीर रूप से घायल हो गए व मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई, वादी अपनी पत्नी व बच्चे को लेकर इलाज हेतु सिविल अस्पताल ले गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा वादी की पत्नी गरिमा गुप्ता उम्र करीब 25 वर्ष को मृत घोषित कर दिया एवं वादी के पुत्र वियान गुप्ता को केजीएमयू लखनऊ रेफर कर दिया। जहां से इलाज के बाद वादी उसे घर ले गया। **इस सूचना पर थाना हुसैनगंज पर मु0अ0सं0- 119/2023 धारा- 279/337/338/427/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना गुडंबा-</u> दिनांक 14.09.2023 को थाना गुडंबा द्वारा बताया गया की वादी श्री सनत कुमार पुत्र दयाशंकर निवासी ग्राम देवरा थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी ने थाना गुडंबा पर सूचना दिया कि वादी द्वारा अपनी पुत्री मोनिका वर्मा का विवाह अभिषेक बैसवार पुत्र स्व0 जगदीश नारायण बैसवार निवासी- A 18 कल्याणपुर लखनऊ के साथ दिनांक 18.01.2023 को किया था। विवाह में वादी द्वारा अभिषेक बैसवार की मां स्नेहलता के कहे अनुसार 15 लाख रुपया नगद दिया गया और अन्य सामान आदि दिये गए। शादी के बाद वादी की पुत्री के ससुरालीजन सास स्नेहलता, पति अभिषेक बैसवार ननद कल्पना व अल्पना व उनके पति क्रमशः रविंद्र व रंजीत, भांजा यथार्थ व मामा सुमेन्द्र जो कि घर पर ही रहते हैं के द्वारा आरंभ से ही वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और दहेज में किया कंपनी की कार की मांग करने लगे और वादी की पुत्री को मायके वालों व रिश्तेदारों से बातचीत भी नही करने देते थे। वादी ने कई बार अपनी पुत्री को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा परन्तु उपरोक्त ससुरालीजनों- दामाद अभिषेक, सास स्नेहलता, ननद कल्पना व अल्पना और उनके पति रविंद्र व रंजीत, भांजे यथार्थ व मामा सुमेन्द्र ने वादी की पुत्री को दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया और आज दिनांक 14.09.2023 को उक्त लोगों ने दहेज के लिए वादी की पुत्री मोनिका वर्मा उपरोक्त की हत्या कर दी है। **इस सूचना पर थाना गुडंबा पर मु0अ0सं0- 361/2023 धारा-498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**